वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: डी0एस0डब्ल्यू/507/2022–23 अतिआवश्यक/समयबद्ध दिनांक : 30.07.2022

सेवा में,

1–समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक
परिसर पाठ्यक्रम
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

2–प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः– उ0प्र0 सरकार के साथ नीति, प्रबन्धन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों/शोधार्थियों का मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में चयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री आलोक कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन लखनऊ के मा0 प्रो0 निर्मला एस0 मौर्य, कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित पत्र संख्याः DONo(1503/22)17M(21)35-AA-1/2019-32 दिनांक 26.07.2022 के पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयक CM Fellowship Programme हेतु सरकार के साथ कार्य करने के इच्छुक ऊर्जावान एवं प्रतिभाशाली युवकों का चयन हो सके, के संदर्भ में उक्त कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार/प्रसार अपने विश्वविद्यालय में करने का निवेदन किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में पत्र के साथ संलग्न दिशा–निर्देश (Guidline) के अनुसार आवश्यक प्रचार–प्रसार एवं कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे कि उ0प्र0 शासन के इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ छात्र/छात्राओं तथा शोधार्थियों को मिल सके। कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
30/07/22
(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2–वरि0 आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3–विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस सूचना को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4–विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपरोक्त सूचना को अपलोड करने का कष्ट करें।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

Alok Kumar
I.A.S.
Secretary

DONo(1583/22)17M(21)/35-AA-1/2019-32

Govt. of Uttar Pradesh
Planning Department
Phone: 0522-2238973
E-mail: psecplan@nic.in

LUCKNOW DATE- 26/07/2022

Dear Madam,

It has been decided by the Government of the Uttar Pradesh to engage youth of the state in assessment of policies and identification of challenges in their implementation across the Aspirational Development Blocks of Uttar Pradesh. In this regard the Government has started Chief Minister Fellowship Programme. In this programme, graduates with minimum 60% marks or higher educational qualification will be eligible.

Therefore, it is kindly requested to provide a wide and extensive reach to the above said programme, so that talented and energetic youth willing to work with Government can be selected. The detailed guidelines of CM Fellowship Programme is enclosed herewith and also uploaded at www.planning.up.nic.in and CMIS portal.

regards.

Enclosure :As above

DSW
इस पर तत्काल कार्यवाही।
27/7/22

Yours Sincerely,

(Alok Kumar)

Prof. Nirmala S. Maurya
Vice Chancellor,
Veer Bahadur Singh Poorvanchal
University, Jaunpur

श्री रमाशंकर
छ० पत्र निर्गत करवाएँ।
29/07/22

Chief Minister Fellowship Programme

The objective of the Chief Minister's Fellowship program is to provide a unique opportunity to the youth of the state to participate in the work of policy, management, implementation, monitoring with the government. Under this program, the energy of the selected researchers, their passion for technology and the new attitude of the youth will be benefited in the implementation of various schemes in the aspirational development block and planning structure according to the future requirement.

This program will be a full time program and the selected candidates will not be expected to do any other employment / service or full time study during the fellowship period.

1. Students/research scholars studying in the following fields in reputed institutions will be selected for the fellowship program.

1. Agriculture, Rural Development, Panchayati Raj and Allied Sectors 2. Forest, Environment and Climate 3. Education, Health, Sanitation, Nutrition and Skill Development 4. Energy and Renewable Energy	5. Tourism and Culture 6. Data Science Artificial Intelligence, IT, ITES, Biotechnology, Machine Learning Data Governance etc. 7. Banking, Finance and Tax Revenue 8. Public Policy and Governance

Other areas may also be considered as needed.

2. **Eligibility**

For selection in the program, candidates will have to apply online on the website of the planning department. The eligibility of the candidates will be as follows:

1. Graduation with first class or minimum 60% marks or higher educational qualification from premier institutes/universities.
2. Should be proficient in speaking and writing Hindi (Devanagari script).
3. Relevant work experience in any of the areas listed in the application (publishing articles/policy papers/research papers/appraisal/monitoring of projects and schemes etc. in the thematic areas related to fellowship) Evidence has to be provided.
4. Applicants should have excellent computer skills and ability to work on Information and Communication Technology applications and also communication skills. Preference may be given to candidates having experience in data analysis.
5. It is mandatory for the candidates to be willing to work in the field work.

3. **Age Limit**

The maximum age of the candidate should not exceed 40 years as on the last date of receipt of applications.

4. **Roles and Responsibilities**

Under this program, research scholars will be selected for the Aspirational Development Section (Attachment). During the program period, the research scholars will work under the supervision of the District Magistrate and the Chief Development Officer.

Concurrent evaluation work of all the schemes run by the Central / State Government in the aspirational development block will be done by the researcher in coordination with the Deputy District Magistrate and the Block Development Officer and for the effective execution of the said work, the survey, study, collection of primary data, monitoring will be done. The work will be done, suggestions will be presented by the researcher to solve the challenges faced in the operation of the schemes and to provide the desired benefits to the public from the schemes. In addition, the research scholar will participate in the work related to policy formulation, plan structure and implementation of the plan.

The necessary data for the operation of the schemes will be collected by the researchers for real time collection and analysis. A tablet will be made available to the researchers for the completion of the above work or a lump sum amount will be provided to them to purchase the tablet.

5. **Job reporting:**

In addition to the above, the following reports will be submitted regarding the activities carried out by the researcher:

1. Monthly progress report, in which the challenges of policy and plan implementation by the research scholar and the attitude of citizens towards the plan will be mentioned.
2. The quarterly progress report and presentation will be reviewed by the Secretary, Planning Department.
3. Annual report and presentation, on the basis of which the work done by the research scholar will be evaluated.
4. Compilation of collected data (including reports) will be submitted.

6. **Remuneration:**

Under the fellowship program, the selected scholar will be paid at a rate of Rs. 30,000/- per month. In addition to the remuneration to the research scholar, Rs. 10,000/- will be paid per month for field visits. In addition, Rs. 15,000/- will be provided in lump sum to purchase tablet for monitoring and evaluation of schemes. In addition, no payment shall be made. Residential facility will be provided to the selected researcher as far as possible in the development block itself.

7. Period of affiliation and annual performance evaluation

The fellowship period of the selected research scholar under the fellowship program will be valid for one year from the date of appointment. On the recommendation of the department, in view of the need of the subject and on the basis of the excellent work of the researcher, it can be extended for one year after the approval of the competent level.

No other payment will be admissible in addition to the pre-determined remuneration for the extended fellowship period. Under the program, a certificate will be given by the state government on successful completion of the work allotted by the research scholar within the stipulated period.

8. Vacation:

12 days of leave is allowed in a year on proportionate basis.

9. Selection Process: Screening of Application

Online applications will be invited on the website of the planning department for the selection of research scholars. It will be mandatory to upload a statement of purpose in 500 words along with the application form. A committee of senior officers/subject experts will be constituted for the screening of the applications received. The screening will be done by the Screening Committee as follows:

Testing:

1. Ambiguous applications will be removed after the tests.
2. Duplicate Control: Only one application with 01 email id, phone number and 01 name will be accepted.
3. Eligibility of candidates: Only graduate (minimum 60 percent marks) or post graduate or PhD (completed or thesis submitted) students will be eligible.
4. Age Criteria: All applications which do not fulfill the age criteria of 40 years will be rejected.
5. Applicants who have not uploaded the statement of purpose of 500 words, their application will be rejected.

10. Evaluation of Applications

After screening of the applications the Screening Committee will evaluate the applications on following criteria: -

11. Objective Scoring: 50 Marks

Objective scoring of the applicants will be done by the Screening Committee as per the following criteria. The scoring standards are as follows:

Educational Qualification & Work Experience

Sr. No.	Details	Max Marks
	Highest Educational Qualification	25
	Graduation	15
	Post-Graduation	20
	PhD (Completed/ Thesis Submitted)	25
	Other legal norms	15
	Degree from reputed institution	3
	Research work/articles published in reputed national/international publications	3
	Awarded by National / International Institute / Forum	3
	Volunteering with organizations	3
	Any other distinguished achievement	3
	Relevant work experience	10
	06 Months to 02 Years	05
	more than 02 years	10
	(Period of PhD degree will not be considered as work experience)	
	Total	50

12. Personal Interview: 25 Marks

Candidates will have to produce original and self-attested copies of all the documents attached with the application form at the time of interview. Verification of educational qualification will be done at the time of interview. In the interview, the subject knowledge of the candidates, relevance, articulation, communication-skills, creative thinking, ability to work independently, self-motivation, ability to work in team, conflict resolution skills, additional skills (G.I.S.) / graphics / writing / software skills) etc. will be assessed. In addition, the candidates will be scored out of 25 marks taking into account the Statement of Purpose (SOP) submitted by the candidates along with the application form.

On the basis of the total marks obtained, the top 100 candidates will be selected under the terms and conditions of the scheme, sorting in descending order. In addition to the above, 50 candidates will be kept in the waiting list. Among the candidates securing the same marks, the one who is older will be placed higher in the order of preference.

13. Training Program

Under the fellowship program, the selected candidates will be trained for two weeks. General Orientation will be provided in the first week of training and programmatic training will be provided in the second week. The above training will be given by Uttar Pradesh Administrative and Management Academy (UPAM), Lucknow. Lectures by experts from specialized institutions like IITs and IIMs will also be organized in the training. The planning department will coordinate with UPAM for the training program and course content.

14. Other important conditions:

1. Chief Minister Fellowship Program is a full time programme. Therefore, the selected scholars will not be allowed to undertake any other employment, assignment and other full time study/work during the period of fellowship programme.
2. The fellowship program does not guarantee permanent service/employment after completion of tenure.
3. The office hours for each selected research scholar will be the same as for other employees of that office.
4. The researcher may be required to work additional hours and travel as required.
5. A medical fitness certificate will be brought by the scholar at the time of joining the fellowship programme. After the selection of the research scholar, police verification will be done.
6. During the period of the fellowship, the research scholar will have to stay at his/her place of affiliation.

7. The research scholar has to submit the contribution in the concerned office within 30 working days from the receipt of offer letter, otherwise the selection will be cancelled.
8. The research scholar will not be allowed to participate in any political movement during the period of the fellowship.
9. On posting at the district / development block level, the researcher may have to travel extensively.

15. Management

The implementation and management of the fellowship program will be done by the planning department. The cooperation of specialized institutions like AKTU, NIUA and UPAAM will be obtained in the selection of research scholars.

Note: In case of any discrepancy, the Hindi version of detailed guidelines prevail.

Annexure

100 Aspirational Development Blocks (34 Districts) - List of 22 Clusters

S.No.	Aspirational Development Blocks	District
1	Bhiti	Ambedkar Nagar
2	Bhiyanv	
3	Tanda	
4	Jagdishpur	Amethi
5	Jamon	
6	Shukla Bazar	
7	Bansdih	Baliya
8	Chillkhar	
9	Garwar	
10	Hanumanganj	
11	Maniar	
12	Pandah	
13	Rasran	
14	Sohanv	
15	Baberu	Banda
16	Bisanda	
17	Kamasin	
18	Kabrai	Mahoba
19	Bahedi	Bareilly
20	Fatehganj	
21	Majhgawan	
22	Richa (Damkhoda)	
23	Shergarh	
24	Puranpur	Pilibhit
25	Haraiya	Basti
26	Kudraha	
27	SaltouwaGopalpur	
28	Vikramjot	
29	Baghauli	SantKabir Nagar
30	Pauli	
31	Santha	
32	Kotwali	Bijnor
33	Najibabad	

34	Ambiyapur	Badaun
35	Aasafpur	
36	Kadar Chowk	
37	Salarpur	
38	Uswan	
39	Wazirganj	
40	Devkali	Ghazipur
41	Mardah	
42	Rewatipur	
43	Sadat	
44	Barachwar	
45	Birno	
46	Gauri Bazaar	Deoria
47	Basgaon	Gorakhpur
48	Brahmapur	
49	Campierganj	
50	Vishnupura	Kushinagar
51	Jalaun	Jalaun
52	Rampura	
53	Madwara	Lalitpur
54	Avagarh	Etah
55	Jathra	
56	Sakit	
57	Nawabganj	Farrukhabad
58	Rajepur	
59	MachhliShahar	Jaunpur
60	Rampur	
61	Aurai	SantRavidas Nagar
62	Kaushambi	Kaushambi
63	Manjhanpur	
64	Bahria	Prayagraj
65	Korawn	
66	Manda	
67	Maharajganj	Maharajganj
68	Mithora	
69	Nautanwa	
70	Nichlaul	
71	Paniyara	
72	Parathawal	

73	Babhanjot	Gonda
74	PandhariKripal	
75	Rupaideeh	
76	Nindoora	Barabanki
77	Puredalai	
78	Halia	Mirzapur
79	Marihan (Patehra)	
80	Nagar city	
81	Pahari	
82	Rajgarh	
83	Bankeganj	Khiri
84	Dhaurahara	
85	Isanagar	
86	Ramiyabehad	
87	Sandila	Hardoi
88	Biswan	Sitapur
89	Rajpura	Sambhal
90	Sambhal	
91	Asmoli	
92	Baniyakheda	
93	Gunnaur	
94	Juwain	
95	Pawansa	
96	Saidnagar	Rampur
97	Gangiri	Aligarh
98	Amanpur	Kansganj
99	Ganjdundwara	
100	Soron	

संलग्नक

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति, प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करना है। प्रदेश सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून और युवाओं के नए दृष्टिकोण का आकांक्षात्मक विकास खण्ड (संलग्नक -1) में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप योजना संरचना में लाभ प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम होगा तथा चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा होगी कि फेलोशिप अवधि के दौरान शोधार्थी द्वारा किसी प्रकार का अन्य रोजगार/ सेवा अथवा पूर्णकालिक अध्ययन नहीं किया जायेगा।

1- फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में निम्नलिखित क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों/ शोधार्थियों का चयन किया जायेगा।

1. कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज एवं संबद्ध क्षेत्र 2. वन, पर्यावरण और जलवायु (Climate Resilience) 3. शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं कौशल विकास 4. ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा	5. पर्यटन एवं संस्कृति 6. डेटासाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई.टी., आई.टी.ई.एस., जैव प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग डेटा गवर्नेंस आदि 7. बैंकिंग, वित्त एवं कर राजस्व 8. लोक नीति एवं गवर्नेंस

आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्र भी विचारणीय हो सकते हैं।

2. पात्रता

कार्यक्रम में चयन हेतु अभ्यर्थियों को नियोजन विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत होगी:

1. प्रमुख संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक हो अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता।
2. हिन्दी (देवनागरी लिपि) भाषा बोलने एवं लिखने में कुशल होना चाहिए।
3. आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव (फेलोशिप से सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रों विषयक लेख प्रकाशन/ नीति पत्रों /शोध पत्रों/ मूल्यांकन/

परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा।)

4. आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल तथा Information and Communication Technology अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता तथा संचार-कौशल भी होना चाहिए। डेटा एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जा सकती है।
5. अभ्यर्थियों को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है।

3. आयु सीमा

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. भूमिका एवं उत्तरदायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकॉक्षात्मक विकास खण्ड(संलग्नक-1) हेतु शोधार्थियों का चयन किया जायेगा। कार्यक्रम अवधि के दौरान शोधार्थियों के द्वारा जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

शोधार्थी द्वारा आकांक्षात्मक विकास खण्ड में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा उक्त कार्य के प्रभावी सम्पादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आँकड़ों का संकलन, अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा, शोधार्थी द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुँचाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे। साथ ही शोधार्थी द्वारा योजना से सम्बंधित नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जायेगा।

शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन हेतु आवश्यक डाटा को रियल टाइम संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए एकत्र किया जायेगा। उक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा अथवा टैबलेट क्रय किये जाने हेतु उन्हें एकमुश्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. कार्य की रिपोर्टिंग

उपरोक्त के अतिरिक्त शोधार्थी द्वारा सम्पादित गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेंगी:

1. मासिक प्रगति रिपोर्ट, जिसमें शोधार्थी द्वारा नीति एवं योजना कार्यान्वयन की चुनौतियों और योजना के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जायेगा।
2. त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट एवं प्रस्तुतिकरण की समीक्षा सचिव, नियोजन विभाग द्वारा की जायेगी।
3. वार्षिक रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण, जिसके आधार पर शोधार्थी द्वारा सम्पादित कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
4. संग्रहित डेटा का संकलन (रिपोर्ट सहित) प्रस्तुत किये जायेंगे।

6. पारिश्रमिक

फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में रू. 30,000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा। शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु रू. 10,000/- प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। साथ ही, विभागीय योजनाओं/ कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु शोधार्थियों को टैबलेट क्रय किये जाने के लिए रू. 15,000/- एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थी को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

7. सम्बद्धता की अवधि एवं वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन

फेलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित शोधार्थी की सम्बद्धता अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। विभाग की संस्तुति, विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थी के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त एक वर्ष के लिए बढाया जा सकता है। विस्तारित फेलोशिप अवधि हेतु पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा आवंटित कार्य को निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक सम्पादित किये जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

8. अवकाश

आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है।

9. चयन की प्रक्रिया: आवेदन पत्रों का परीक्षण

शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण (Statement of Purpose) भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु

वरिष्ठ अधिकारियों/ विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नानुसार परीक्षण किया जायेगा:

परीक्षण:

1. अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोंपरान्त हटा दिया जायेगा।
2. **डुप्लीकेसी नियंत्रण:** 01 ईमेल आईडी, फोन नम्बर एवं 01 नाम से केवल एक आवेदन ही स्वीकार्य होगा।
3. **अभ्यर्थियों की पात्रता:** केवल स्नातक (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक) अथवा स्नातकोत्तर या पीएचडी (पूर्ण अथवा थीसिस प्रस्तुत) छात्र ही पात्र होंगे।
4. **आयु मानदंड:** सभी आवेदन जो 40 वर्ष की आयु के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, अस्वीकार कर दिए जायेंगे।
5. आवदेकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण (Statement of Purpose) अपलोड नहीं किया गया है, उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

10. आवेदन पत्रों का मूल्यांकन

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:

11. आब्जेक्टिव स्कोरिंग: 50 अंक

स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की आब्जेक्टिव स्कोरिंग की जायेगी। स्कोरिंग के मानक निम्नवत हैं:

शैक्षिक योग्यता एवं कार्य अनुभव:

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक
A	**उच्चतम शैक्षिक योग्यता**	**25**
1	स्नातक	15
2	स्नातकोत्तर	20
3	PhD (पूर्ण/ थीसिस प्रस्तुत)	25
B	**अन्य विधिक मानदंड**	**15**
1	प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री	3
2	प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य/ लेख	3

3	राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान/ मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार	3
4	संगठनों के साथ स्वयंसेवा	3
5	कोई अन्य विशिष्ट उपलब्धि	3
C	**प्रासंगिक कार्य अनुभव**	**10**
1	06 माह से 02 वर्ष	05
2	02 वर्ष से अधिक (PhD डिग्री की अवधि को कार्य अनुभव नहीं माना जायेगा)	10
	योग	**50**

12. व्यक्तिगत साक्षात्कार: 25 अंक

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्वप्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जायेगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आंकलन किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उद्देश्य का विवरण (SOP) का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को 25 अंकों में से स्कोर किया जायेगा।

कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 100 अभ्यर्थियों को योजना के नियम एवं शर्तों के अधीन चयन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में जिसकी आयु ज्यादा होगी उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

13. प्रशिक्षण कार्यक्रम

फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को दो सप्ताह का प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में सामान्य परिचय (General Orientation) एवं द्वितीय सप्ताह में कार्यक्रम विषयक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबन्धन एकेडमी (उपाम), लखनऊ द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में IIT एवं IIM जैसी विशिष्ट संस्थाओं के विशेषज्ञों का व्याख्यान भी आयोजित कराया जायेगा। नियोजन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कोर्स की विषयवस्तु हेतु उपाम से समन्वय किया जायेगा।

14. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

1. मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है। अतः चयनित शोधार्थी फेलोशिप कार्यक्रम की अवधि में किसी अन्य रोजगार, असाइनमेंट तथा अन्य पूर्णकालिक अध्ययन/ कार्य करने के लिए अनुमन्य नहीं होंगे।
2. फेलोशिप कार्यक्रम, कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात स्थायी सेवा/ रोजगार का आश्वासन नहीं देता है।
3. प्रत्येक चयनित शोधार्थी के लिए कार्यालय का समय वही होगा जो उस कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए है।
4. शोधार्थी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त घंटे कार्य करने और यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है।
5. शोधार्थी द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम में सम्बद्धता के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। शोधार्थी के चयन के पश्चात पुलिस सत्यापन किया जाएगा।
6. फेलोशिप की अवधि में शोधार्थी को अपने सम्बद्धता स्थान पर रहना होगा।
7. शोधार्थी को प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में सम्बद्ध कार्यालय में योगदान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा चयन रद्द कर दिया जाएगा।
8. फेलोशिप की अवधि के दौरान शोधार्थी को किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. जनपद / विकास खण्ड स्तर पर तैनाती पर शोधार्थी को व्यापक भ्रमण करना पड़ सकता है।

15. प्रबंधन

फेलोशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रबंधन का काम नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा। शोधार्थियों के चयन में AKTU, NIUA एवं UPAAM जैसी विशिष्ट संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक-1

100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों (34 जनपदों) की सूची

क्र0सं0	आकांक्षात्मक विकास खण्ड	जनपद
1	भीटी	अम्बेडकरनगर
2	भियांव	
3	टाण्डा	
4	जगदीशपुर	अमेठी
5	जामों	
6	शुकुलबाजार	
7	बांसडीह	बलिया
8	चिलकहर	
9	गरवार	
10	हनुमानगंज	
11	मनियर	
12	पन्दह	
13	रसड़ा	
14	सोहांव	
15	बबेरू	बाँदा
16	बिसण्डा	
17	कमासिन	
18	कबरई	महोबा
19	बहेड़ी	बरेली
20	फतेहगंज	
21	मझगवां	
22	रिच्छा (दमखौदा)	

23	शेरगढ़	पीलीभीत
24	पूरनपुर	
25	हरैया	बस्ती
26	कुदरहा	
27	सल्टौवा गोपालपुर	
28	विक्रमजोत	
29	बघौली	संतकबीरनगर
30	पौली	
31	सांथा	
32	कोतवाली	बिजनौर
33	नजीबाबाद	
34	अम्बियापुर	बदायूँ
35	आसफपुर	
36	कादरचौक	
37	सालारपुर	
38	उसवां	
39	वजीरगंज	
40	देवकली	गाजीपुर
41	मरदाह	
42	रेवतीपुर	
43	सादात	
44	बाराछवार	
45	बिरनो	
46	गौरी बाजार	देवरिया
47	बासगांव	गोरखपुर
48	ब्रह्मपुर	
49	कैम्पियरगंज	

50	विष्णुपुरा	कुशीनगर
51	जालौन	जालौन
52	रामपुरा	
53	मडवारा	ललितपुर
54	अवागढ़	एटा
55	जैथरा	
56	सकीट	
57	नवाबगंज	फर्रुखाबाद
58	राजेपुर	
59	मछलीशहर	जौनपुर
60	रामपुर	
61	औराई	संतरविदास नगर
62	कौशाम्बी	कौशाम्बी
63	मंझनपुर	
64	बहरिया	प्रयागराज
65	कोरांव	
66	मण्डा	
67	महाराजगंज	महाराजगंज
68	मिठौरा	
69	नौतनवा	
70	निचलौल	
71	पनियरा	
72	परथावल	
73	बाभनजोत	गोण्डा
74	पन्धरी कृपाल	
75	रुपईडीह	
76	निन्दूरा	बाराबंकी

77	पुरेडलई	
78	हलिया	मिर्जापुर
79	मरिहन (पटेहरा)	
80	नगरसिटी	
81	पहाड़ी	
82	राजगढ़	
83	बांकेगंज	खीरी
84	धौरहरा	
85	ईसानगर	
86	रमियाबेहड़	
87	सण्डीला	हरदोई
88	बिसवां	सीतापुर
89	रजपुरा	संभल
90	संभल	
91	असमोली	
92	बनियाखेड़ा	
93	गुन्नौर	
94	जुवई	
95	पवांसा	
96	सैदनगर	रामपुर
97	गंगीरी	अलीगढ़
98	अमांपुर	कासगंज
99	गंजडुण्डवारा	
100	सोरों	